sa resun, mese n forced to cut to eight hours ailability. Most s are in smaller ages, officials

al said that this stage of coal, seen only durons, has come ng caused by a es. "The situajet worse with ods, sparking a ver crisis in the

ock is critical ter (Bhagwant eady taken up Coal and Power crease the coal e the onset of eason, in which ik to the level of id Baldev Singh jab State Power nited.

Maharashtra's, said they were ig coal inventothermal power optimum genthat state was ectricity from over producers 20 lakh metric

orporation Ltd man M Devraj e that thermal t able to main-ocks as per the he claimed, was normal power n the state. The also making o maintain the sper the norms al to the plants avoid possible often caused ransported by

m state bureaus)

were axed.

The move came days after the Chhattisgarh government granted the final approval for non-forestry use of forest land in the Parsa coal mining project area.

According to villagers, they learnt about the deforestation exercise early in the morning and rushed to the spot to register their objection.

On April 6, the state government had given the final approval for non-forestry use of 841.538 hectares of forest land for the Parsa coal mine spread across Surguja and Surajpur districts in northern part of the state

The mine has been allotted to Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd (RRVUNL).

"As many as 300 trees were felled in Janardanpur village (Surajpur district) under the Ramanujnagar forest range for the Parsa coal mine project. After the objection by local villagers, the work was stopped," a local forest official said.

"Around 1,590 trees are to be cut in this area for the project. Further action in this direction will be taken after getting directives from senior officials," he added.

On getting information about the deforestation work in Janardanpur which is close to Salhi village (Surguja district), residents of project-affected villages reached there, said Ramlal Kariyam, a resident of Salhi.

Over 50 police personnel were deployed to facilitate the deforestation work, he added. "The residents of Salhi, Fatehpur and Hariharpur villages have been protesting against the project for a long time. We have even demanded a probe into forged gram sabha documents based on which clearances have been given for the project," he said.

		Google Meet joining info Video call link: https://meet.google.com/uij-pfax-bgr
c)	bid submission end date and time	18 May 2022 upto 06:00 PM
d)	Technical bid opening date and time	19 May 2022 at 11:00 AM
e)	Financial bid opening date	To be decided after evaluation of Technical Bid
CONTRACTOR	Venue of opening Technical & Financial – bid is UPNEDA Head Office	

As such the hard copies of the tender document is not required to be sent, however the Demand Draft of Bid Processing Fee Rs. 4000.00 +GST Rs. 720.00 total Rs. 4720.00 and Earnest Money Rs. 20500.00 as Bank Guarantee or Demand Draft and other relevant documents (as detailed in the bid document), should reach UPNEDA's head office latest by 19 May 2022 upto 10:00 AM. The Demand draft of any nationalized or Scheduled bank should be in favour of Director UPNEDA.

All updation/information about above tender will be publish on UPNEDA website www.upneda.org.in and/or E-Tender website www.etender.up.nic.in.

The Director, UPNEDA reserves the right to reject any/all offer without assigning any reason thereof. The decision of the Director UPNEDA shall be final and binding.

DIRECTOR UPNEDA



## मख्यालय

## उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ं'गौरा देवी पर्यावरण भवन'' 46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रघारा रोड, देहरादून Web: www.ueppcb.uk.gov.in E-mail: msukpcb@yahoo.com Ph. No. 2976157, 2976158, 2607092

## पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

श्री कैलाश चंद जोशी, निवासी—ग्राम व पो० बिलोना, बिलोनासेरा, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम महतगांव, तहसील एवं जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल—3.77 हैं0, उत्पादन—14,200 टन प्रतिवर्ष क्षमता) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा द्वाराप्त पर्यावरण प्रमाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबच्चन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 यथासंशोधित के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्रावधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु 'पैनल' की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:—

जिलाधिकारी, जनपद बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

2. उत्तराखण्ड अनुवर्ण नियंत्रण बांड के प्रातानाघ। प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25—सुभाष रोड, देहरादून; मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46 बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून; क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल; कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर; कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर, जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर एवं नगर पालिका परिषद, बागेश्वर में उपलब्ध हैं जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। झाफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

रिष्यति व जिन्न नेपारित ज्ञाप रूप्यावना (स्वाव प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त श्री कैलाश चंद जोशी, निवासी—ग्राम व पो० बिलोना, बिलोनासेरा, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम महतगांव, तहसील एवं जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माईनिंग (क्षेत्रफल—3.77 हैं0, उत्पादन—14,200 टन प्रतिवर्ष क्षमता) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई दिनांक 02.06.2022 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड—19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अपने प्रतिविध्या के स्वाद्या के साथ गिवास्ति को जाता है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मीखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सविव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

-Time. 28/4/2022